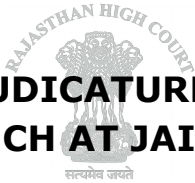


**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3834/2026
CNR: RJHC020226932026 | URN: CRLMB / 6810U / 2026

Child With Conflict With Law R Son Of Shri Raghuveer (Natural Guardian), Aged About 17 Years, R/o Village Bilond, Police Station Kaman, District Deeg (Rajasthan). Through His Natural Guardian Father Shri Raghuveer S/o Jhakkdram.

-----Petitioner/Juvenile delinquent

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rakesh Chandel, Ms. Pratibha Baresa and Mr. Vijendra Pareek for Mr. Abhinav Bhandari
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP
For Complainant(s)	:	None Present

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

18/08/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, पुलिस थाना कामा जिला डीग में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 08/2025 अपराध अंतर्गत धारा 189(2), 115(2), 126(2) भारतीय न्याय संहिता में गिरफ्तारी की आशंका के फलस्वरूप अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त 17 वर्षीय बालक है। प्रार्थी/अभियुक्त पक्ष की ओर से परिवादी पक्ष के विरुद्ध दिनांक 01.01.2025 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसके पश्चात सोच-समझकर दिनांक 02.01.2025 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 8/2025 प्रार्थी/अभियुक्त बालक के विरुद्ध दर्ज कराई गई। प्रार्थी/अभियुक्त बालक के विरुद्ध यह आरोप है कि उसने निशांत के चोट

पहुंचाई, जो साधारण प्रकृति की है। पक्षकारान में राजीनामा हो चुका है। सहअभियुक्त ओमवीर का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 14332/2025 अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा स्वीकार किया जा चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि यद्यपि यह सही है कि प्रार्थी/अभियुक्त बालक पर निशांत के साधारण प्रकृति की चोट पहुंचाने के अपराध का आरोप है, परंतु प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जावे।

मैंने उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त 17 वर्षीय बालक है। प्रार्थी/अभियुक्त बालक पर निशांत के साधारण प्रकृति की चोट पहुंचाने के अपराध का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी किया जाना शेष नहीं है, न ही प्रार्थी/अभियुक्त की अनुसंधान हेतु आवश्यकता बताई गई है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रस्तुत तर्कों, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **विधि से संघर्षरत किशोर “आर” पुत्र श्री रघुवीर (प्राकृतिक संरक्षक)** की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा संबंधित अनुसंधान अधिकारी/थानाधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि उनके यहां पंजीबद्ध उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी को गिरफ्तार किये जाने की सूरत में यदि प्रार्थी उनके संतोषप्रद एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं पचास-पचास हजार रुपये राशि की दो

जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर आजाद कर दिया जाए :

1. कि प्रार्थी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिये जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा।
2. कि प्रार्थी इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।
3. कि प्रार्थी बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत नहीं छोड़ेगा।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J